न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व अहकाम जो की तामील में
	दावा सं 40/2013 उनवानी मूर्ति श्री गोपालजी बनाम मामचन्द वगैरा	
30-5-2018		मुज का से

वकील वादी उप०। वकील वादी ने बताया कि भूमि ख०न० 199, 349, 352, 353 368 379 382 384 386 387 व 878 किता 11 रकबा 6.18 ग्राम झाजरा में स्थित है जिसकी खातेदारी मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसकी सेवा पूजा भगवानदास चेला धनश्यामदास निवासी मावण्डा कलां द्वारा कि जा रही है। जमीन की पैदावार से ही मन्दिर का खर्चा चलता है। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं काश्त नही करने देते है। अत। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि वाद पत्र मे अंकित भूमि की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी राजस्व ग्राम झाजरा के अनुसार मूर्ति मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका पुजारी भगवानदास है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत मावण्डा कलां द्वारा भगवानदास को ही पुजारी बताया गया है एवं भोग की राशि प्राप्त करने का अधिकार भी बताया है। तथा प्रस्तुत दस्तावेज से भी यह स्पष्ट है कि देवस्थान विभाग द्वारा वार्षिकी के भुगतान की आज्ञा का जो पत्र जारी होता है उसकी वकील वादी द्वारा फोटो प्रति पेश कि है जिसमे भी पुजारी भगवानदास चेला धनश्यामदास का ही नाम अंकित है जो मूर्ति मन्दिर व कि भूमि हेतु एक मैनेजर के रूप मे है। मूर्ति अव्यस्क होने के कारण उक्त भूमि की देखभाल पुजारी ही करता है। मन्दिर की सम्पत्ति की देखभाल करने का दायित्व पुजारी का होता है। वादी द्वारा भूमि ख० न० 878 ग्राम झाजरा बाबत सहायता चाही गई है जिसकी खातेदारी मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। यह बात सही है कि मूर्ति मन्दिर अवयस्क होने के कारण पुजारी देखभाल करता है एवं भूमि मे पैदावार करके मन्दिर की रख रखाव करे। इसलिए वाद मे अंकित भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम होने के कारण प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नही है ना ही प्रतिवादीगण को उक्त भूमि के कोई अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना व वादी का वाद डिग्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत, उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिग्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख० न० 878 रकबा 3.15 हे० तन ग्राम झाजरा तहसील नीमकाथाना मे वादी के कब्जे काश्त मे कोई

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
मुजाहमत नहीं करे एवं नाड़ी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड़) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	